

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 01/भू0अ0नि0(8)-मुकदमा - 01/2021..... पटना, दिनांक :-  
आदेश

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-7652/2020 अभिषेक कुमार बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21.01.2021 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

**" The writ applications are disposed of with a direction to the respondents to strictly follow the merit list and if there is any mistake, they will rectify and modify the panel as per merit. In the event, there is any disqualification or compelling reason for exclusion of any candidate from the panel notwithstanding the merit position, respondents are required to give reasons. The entire exercise of correction of panel if any shall be completed by the respondents within a maximum period of (45) forty five days from the date of receipt/production of a copy of this order. Within the same time respondents shall pass respondents shall pass reasoned order for rejection candidature despite merit position".**

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के आलोक में समर्पित अभ्यावेदन द्वारा श्री अभिषेक कुमार ने अपने Diploma in Civil Engineering के प्रमाण-पत्र को वैध बताते हुए विशेष सर्वेक्षण अमीन के मेधा क्रम में नाम जोड़ने का अनुरोध किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त न्याय निर्णय के आलोक में प्राप्त अभ्यावेदन पर सुनवाई की तिथि दिनांक 24.07.2023 को 4.00 बजे अपराहन निर्धारित करते हुए निदेशालय के पत्रांक 5940 दिनांक 21.07.2023 द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु ई-मेल/वाट्सऐप के माध्यम से सूचित किया गया।


निर्धारित तिथि को याचिकाकर्ता अभिषेक कुमार उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता का पक्ष उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में सुनाई की गयी।

सुनवाई के क्रम में याचिकाकर्ता द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्र की वैधता के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि हम अब सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि हमारा प्रमाण-पत्र सही नहीं है। उक्त के आलोक में याचिकाकर्ता द्वारा विशेष सर्वेक्षण अमीन के मेधा क्रम में नाम जोड़ने संबंधी आवेदन को निष्पादित करने का अनुरोध किया गया याचिकाकर्ता द्वारा एतत् संबंधी कथन को लिखित रूप में भी सुनवाई के दौरान समर्पित किया गया है।

अतः याचिकाकर्ता के लिखित अनुरोध के आलोक में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या- 7652/2020 अभिषेक कुमार बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21.01.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में विशेष सर्वेक्षण अमीन के मेधा क्रम में नाम जोड़ने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।


ह0/-  
(जय सिंह)  
निदेशक

ज्ञापांक - 01/भू0अ0नि0(8)-मुकदमा - 01/2021.....<sup>5961</sup> पटना, दिनांक - 24/01/2023  
प्रतिलिपि:- Sri Abhishek Kumar S/o-Sunil Thakur, Vill- ~~Kunwar~~ PS-Chakia, PO-Chakia,  
District- E.Champaran Mob. no. 9470042691E-mail- abhishekchakia40@gmail.com को सूचनार्थ  
प्रेषित।



सहायक निदेशक

ज्ञापांक - 01/भू0अ0नि0(8)-मुकदमा - 01/2021.....<sup>5961</sup> पटना, दिनांक - 24/01/2023  
प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर  
अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप